प्रेषक,

रजिस्टर्ड

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गोण्डा सिटी माण्टेसरी हायर सेकेण्ड्री स्कूल
गोण्डा।

पत्रांक – आई0वी0/मान्यता/ 851
विषय :– इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में। दिनांक- 4/5/2013

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष– 2015 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

Manager
Gonda City Montessori Inter College
GONDA

GONDA CITY MONTESSORI SCHOOL
PRINCIPAL
GONDA

GONDA CITY MONTESSORI SCHOOL
MANAGER
GONDA

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण ... अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय को प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी।

(ग)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग अति0	सामान्य हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, जीवविज्ञान, रसायनविज्ञान, भौतिकविज्ञान।

टिप्पणी :— उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पृष्ठांकन सं0– आई0वी0/मान्यता/ दिनांक– 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन।
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

GONDA CITY MONTESSORI SCHOOL PRINCIPAL GONDA

GONDA CITY MONTESSORI SCHOOL MANAGER GONDA